

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 115/2026  
अनवान : -

1. रावताराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

- वादीगण

**बनाम्**

1. गोविन्द राम पुत्र बक्शाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
2. कानाराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
3. मगनीराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
4. शिशपाल पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
5. अशोका देवी पुत्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
6. गुडी देवी पुत्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीगण  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 09/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता सं. 375/375 के ख.न. 568/313 की 2.0240 हैक्टर भूमि ख.न. 569/313 की 1.6192 हैक्टरभूमि कुल 3.6432 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी की माता के नाम दर्ज थी। वादी की माता के देहान्त के बाद प्रतिवादी स0 1 ता 6 के नाम विरासतन भूमि दर्ज हुई एवं वादी के दादा के देहान्त के बाद रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 375/375 की कुल 3.6432 हैक्ट भूमि में से 17/336 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 6 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं 5 व 6 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की बहिन है एव प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है तथा अपने भाईयों एवं पिता से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा अपना समस्त हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता सं. 375/375 की कुल 3.6432 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं

*Rahul*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

प्रतिवादीगण सं. 1, 5, 6 का नाम कलमजन करवापाने का अधिकारी है। इसी आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी सं० 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी की माता के नाम दर्ज थी। वादी की माता के देहान्त के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 के नाम विरासतन भूमि दर्ज हुई एवं वादी के दादा के देहान्त के बाद रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता सं० 375/375 की कुल 3.6432 हैक्टर भूमि में से 17/336 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 6 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं 5 व 6 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की बहिन है एव प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है तथा अपने भाईयों एवं पिता से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा अपना समस्त हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता सं. 375/375 की कुल 3.6432 हैक्टर भूमि में वादी व

*Abdul*  
उपसाष्ट अधिकारी  
नोहर

प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 5, 6 का नाम कलमजन करवापाने का अधिकारी है। इसी आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता सं. 375/375 के ख.न. 568/313 की 2.0240 हैक्टर भूमि ख.न. 569/313 की 1.6192 हैक्टरभूमि कुल 3.6432 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी की माता के नाम दर्ज थी। वादी की माता के देहान्त के बाद प्रतिवादी स0 1 ता 6 के नाम विरासतन भूमि दर्ज हुई एवं वादी के दादा के देहान्त के बाद रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 375/375 की कुल 3.6432 हैक्ट भूमि में से 17/336 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 6 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं 5 व 6 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की बहिन है एवं प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है तथा अपने भाईयों एवं पिता से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा अपना समस्त हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता सं. 375/375 की कुल 3.6432 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 5, 6 का नाम कलमजन करवापाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

*Zalul*  
उपसंह अधिकारी  
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता सं. 375/375 की कुल 3.6432 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 5, 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 115/2026  
अनवान : -

1. रावताराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्


1. गोविन्द राम पुत्र बक्शाराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
2. कानाराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
3. मगनीराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
4. शिशपाल पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
5. अशोका देवी पुत्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
6. गुडी देवी पुत्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
राजस्व वाद संख्या 115 सन 2026 निर्णय दिनांक 09/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता सं. 375/375 की कुल 3.6432 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 5, 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...09/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर